संख्या– / /XVIII(II)/2020–01(52)/2009

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनाकः 22 ~~दिसम्बर, 2020~~ जनवरी 2021

विषयः–मदरहुड़ इन्सीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी सोसाइटी द्वारा संचालित मदरहुड़ विश्वविद्यालय के विस्तार हेतु 14,632.481 वर्ग मीटर यानि (1.4632 है0) भूमि क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–245/जि0भू0व्य0सहा0–2019, दिनांक 04–09–2019 तथा पत्र संख्या–75/जि0भू0व्य0सहा–2020, दिनांक 25 जुलाई, 2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मदरहुड़ इन्सीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी सोसाइटी द्वारा संचालित मदरहुड़ विश्वविद्यालय के विस्तार हेतु ग्राम करौन्दी मुस्तहकम तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में कुल क्षेत्रफल 10535.481 वर्गमीटर तथा ग्राम करौन्दी मुस्तहकम तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में 4097 वर्गमीटर कुल 1.4632 है0 भूमि क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर लिए गये निर्णय के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मदरहुड़ इन्सीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी सोसाइटी द्वारा संचालित मदरहुड़ विश्वविद्यालय के विस्तार हेतु ग्राम करौन्दी मुस्तहकम तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार में कुल क्षेत्रफल 10535.481 वर्गमीटर तथा ग्राम करौन्दी मुस्तहकम तहसील रूड़की जिला हरिद्वार में 4097 वर्गमीटर कुल 1.4632 है0 भूमि क्रय की अनुमति उत्तराखण्ड (उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950)(अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा–154(4)(3)(क)(I)(III) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गयी भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसकों राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (विश्वविद्यालय के विस्तार) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गयी है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजन

.....2

के लिए कय किया गया था, उससे भिन्न प्रयोजन के लिए विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगें।

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– संस्था द्वारा कय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग निर्धारित प्रयोजन (विश्वविद्यालय के विस्तार) के लिए ही किया जायेगा।

7– विश्वविद्यालय का निर्माण किये जाने सम्बन्धी मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– योजना प्रारम्भ से पूर्व सम्बन्धित विभागों से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। वन एवं पर्यावरण सम्बन्धी यथा आवश्यक स्वीकृतियां केता द्वारा प्राप्त की जायेगी।

9– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही कय की जाय।

10– संस्था राज्य सरकार/शासन से सम्बन्धित विभाग से प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु सभी आवश्यक अनुज्ञायें/स्वीकृतिया स्वयं प्राप्त करेगी।

11– संस्था को विनियमित क्षेत्र के विनियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12– कय की जा रही भूमि के विकय–विलेखों पर उक्त अनुमति से इंगित किये गये प्रयोजन के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा।

13– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा।

14– सम्बन्धित संस्था द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मेनेजमेन्ट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थो का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

15– सम्बन्धित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16– जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य व किनारे चेक रोड़, नाला तथा राज्य सरकार की अवशेष भूमि आदि होने अथवा न होने की स्पष्ट सूचना/विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

17– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी, तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

18– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो, इसके लिए भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

.....3

19– भूमि का विक्रय उस उपयोग हेतु शासन की अनुमति से किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिए शासन द्वारा क्रय की अनुमति प्रदान की गयी है।

20– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियां /स्वीकृतियां प्राप्त कर ली जायेगी।

21– संस्था द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सर्वोच्च नियामक संस्थाओं के मानकों एवम् अन्य प्रभावी नियमों/विनियमों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की घोषणा पत्र दिया जायेगा।

22– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

3– कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तो के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
सचिव (प्रभारी)

संख्या–120/XVIII(II)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
5– सचिव, कुमारी मनिका शर्मा पुत्री श्री कुबैर दत्त शर्मा, 101 गोविन्दपुरी कंकरखेड़ा मेरठ, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश।
6– निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
7– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव।